झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :– 7/नि॰–04–18/2019 ज॰सं॰– /राँची, दिनांक :– ....

आदेश

झारखण्ड जल संसाधन संवेदक निबंधन नियमावली, 2018 की कंडिका–8.1 में प्रावधान है कि जल संसाधन विभाग, झारखंड के विभिन्न श्रेणियों में वर्तमान निबंधित संवेदकों को संशोधित निबंधन नियमावली के निर्गत होने की तिथि से छः माह के अन्दर अपने निबंधनों का नवीकरण कराना होगा, जिसके लिए उन्हें नवीकरण का निबंधन शुल्क जमा करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनके निबंधनों की विधि मान्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

उक्त के आलोक में संवेदकों से निबंधन नवीकरण हेतु आवेदन दिनांक 20.11.2018 से 19.05.2019 तक (छः माह) Online प्राप्त किया गया। दिनांक 19.05.2019 के बाद से निबंधित संवेदकों से नवीकरण हेतु Online आवेदन प्राप्त करने का प्रावधान बन्द कर दिया गया।

विभिन्न सेवदकों द्वारा सूचित किया गया है कि कतिपय कारणों से पूर्व में श्रेणी–1S, 1A, 1B, II, III, IV एवं V में निबंधित संवेदक निर्धारित समयावधि के अन्दर निबंधन नवीकरण हेतु Online आवेदन समर्पित नहीं कर सके। विभाग द्वारा सम्यक् विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि वैसे संवेदक जो निर्धारित समयावधि के अन्दर निबंधन नवीकरण हेतु Online आवेदन समर्पित नहीं कर सके हैं, वे दिनांक 01.08.2019 से 31.08.2019 तक निबंधन नवीकरण के लिये Online आवेदन समर्पित कर सकते है।

2. इस आदेश को समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशन कराकर जन सामान्य को सूचित किया जाय।

3. आदेश पर अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है।

ह॰/–
अभियंता प्रमुख–I–सह निबंधन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक :– 7/नि॰–04–18/2019 ज॰सं॰– /राँची, दिनांक :– ....

प्रतिलिपि :– अभियंता प्रमुख–I–सह निबंधन पदाधिकारी के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृपया विभाग में पूर्व से निबंधित सभी संवेदकों को अपने स्तर से सूचित किया जाय।

ह॰/–
अभियंता प्रमुख–I–सह निबंधन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक :– 7/नि॰–04–18/2019 ज॰सं॰– 4134 /राँची, दिनांक :– 30/07/19

प्रतिलिपि :– वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया इस आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाय।

30/7/19

अभियंता प्रमुख–I–सह निबंधन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग।